COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

EIGHTH REPORT

Shri Altekar (North Satara): I beg to present the Eighth Report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House.

CONSTITUTION (FOURTH AMENDMENT) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now resume further discussion on the motion for reference of the Constitution (Fourth Amendment) Bill to a Joint Committee as also on the motion for circulation. As the House is aware, ten hours have been allotted by the Business Advisory Committee for the consideration of this motion. Out of this, 4 hours and 54 minutes—roughly five hours—were taken yesterday and about five hours now remain. This would mean that the motion has to be disposed of by 5 P.M., and I therefore propose to call upon the hon. Prime Minister to reply to the debate at about 4-15 P.M. when he will begin. He will take some time and I believe some more time will be necessary for the purpose of having a vote by division in view of the rules made and the practice hitherto prevailing. So, that will be the time-table for today. Voting will be at about 4-45 P.M.; it may be five minutes earlier or five minutes later.

श्री बी० जी० देशपांडे (गुना) : कल मैं बता रहा था....

Mr. Speaker: Order, order. I must just remind the hon. Member that he has already taken 22 minutes yesterday. I have got the record here. As he has started, he can take eight minutes today and finish his speech. But for the other hon. Members, the time will be only 15 minutes each and nothing more.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): The Prime Minister is to speak at 4-15.

Mr. Speaker: Yes; at 4-15.

श्री बी० जी० देशपांडे : कल मैं बता रहा था कि संविधान का यह संशोधन मूलगामी और क्रान्तिकारी है। यहां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रति यह कहा गया है कि संविधान का जो अर्थ उन्होंने किया है वह गलत है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जस्टिस कानिया, जस्टिस पातंजलि शास्त्री और जस्टिस महाजन या जस्टिस मुकर्जी इन चारों न्यायाधीशों ने जो निर्णय दिये हैं, उन्होंने संविधान का मतलब समझा नहीं है, यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

बात तो यह है कि पहले जब हमने संविधान बनाया था, जब हमने मौलिक अधिकारों की निर्माण सम्बन्धी धारा बनाई थी तो धारा ३१ के अनुसार यह निश्चय किया था कि जनता की कोई भी सम्पत्ति उनको उचित मूल्य दिये बिना छीनी नहीं जायगी, परन्तु उसके पश्चात् हमने यह देखा कि जमींदारी कानून के लिए हमको जो मुआविजा देना है, उसके लिए हमें उस धारा में परिवर्तन करना पड़ा और उसी के कारण इस सदन में एक विचित्र संशोधन भी किया गया। जिन लोगों ने अच्छी तरह से इन न्यायाधीशों के निर्णयों का अभ्यास किया है, जैसे कल मेरे नेता श्री निर्मल चन्द्र चैटर्जी ने बतलाया था कि समाज को अधिकार है कि समाज की प्रगति के लिए वैयक्तिक जो सम्पत्ति है वह सम्पत्ति हासिल की जा सकती है, परन्तु उसके बारे में यह बतलाया गया और इन निर्णयों में यह भेद किया गया है कि कंट्रोल एण्ड रैगुलेशन यानी किसी पर भी नियंत्रण करना एक्युजीशन या रैक्युजीशन, किसी से भी प्राप्त कर लेना या किसी की सम्पत्ति छीन लेना इसमें बड़ा भेद है। पहले संविधान में हमने यह कहा था कि समाज को पूर्ण अधिकार है कि किसी की सम्पत्ति का हम नियंत्रण, कंट्रोल एण्ड रैगुलेशन कर सकते हैं परन्तु किसी की सम्पत्ति हम छीन लेना चाहते हैं तो हम उसको उस जायदाद